प्रकरण संख्या 103/2018 भैरूलाल बनाम वक्ता के बजाय हीरालाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 व रामुडी तथा हीरकी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कानुपर में वाद पत्र की कमल संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' की आराजियात कुल किता 40 रकबा 4.3550 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 2277 व 2278 किता 2 रकबा 0.0900 हैक्टर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उपरोक्त आराजियात में वादी संख्या 1 से 4 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 5 से 7 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 8 से 12 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/4 हिस्सा है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से दौला पिता नारायण की विरासत से नामान्तरकरण में परिशिष्ट ''क'' में किसना उर्फ कना का 1/2 हिस्सा, गोपा, जेता, केसा पिता दौला का 1/2 हिस्सा अंकित हो गया। तत्पश्चात किशना की मृत्यु पर विरासत से उसके वारिस भग्गा व चोखा का नाम दर्ज हो गया एवं भग्गा व चोखा की मृत्यु पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गया। देवा ने आराजियात जिसका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 में किया हुआ है कुल किता 20 रकबा 2.4950 हैक्टर में 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती गणेशी देवी को विक्रय कर दिया। इसी तरह भैरूलाल, जेतीबाई ने आराजीयात कुल किता 8 रकबा 0.7900 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को विक्रय कर दिया, जबकि विवादित आराजियात का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वाद वर्णित परिशिष्ट ''क'' व परिशिष्ट ''ख'' की आराजियात में वादी संख्या 1 से 4 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 5 से 7 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 8 से 12 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे [illegible] निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.01.2012 को वादीगण की एकतरफा बहस सुनकर वादीगण का वाद स्वीकार कर	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 103/2018 भैरूलाल बनाम वक्ता के बजाय हीरालाल

प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.01.2015 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17.12.2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने कार्यवाही उभयपक्षों की सहमति के आधार पर अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया गया तथा उभयपक्षों की सहमति से अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपील मीमों के पृष्ठ संख्या 6, कलम संख्या 3 में द्वारा चाही गयी रिलीफ अनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.04.2021 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested